कार्यालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)
राजस्व वाद संख्या – 481/99
तारीख दायरा – 22/10/1999

वादीगण :–
1. मांगा पुत्र दौलाजी कौम रेबारी निवासी सादडी तहसील देसूरी जिला पाली (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :–
1. मृत वक्तावरमल पुत्र पुखराज जी के कायम मुकाम व वारिसान
 1/1 – श्री श्रीपाल पुत्र वक्तावरमलजी
 1/2 – श्रीमती मधु पुत्री वक्तावरमलजी
 1/3 – जया पुत्री वक्तावरमलजी
 1/4 – श्री अमरपाल पुत्र राजेश पौत्र वक्तावरमलजी
 1/5 – सरोज बेवा राजेश पुत्र वक्तावरमलजी
 1/6 – श्रीमती पिंकी पुत्री राजेश पौत्री वक्तावरमलजी
 1/7 – आयुषा पुत्री कुमारपाल
 1/8 – जोशना पुत्री वक्तावरमल
 जाति तमाम जैन पण्डिया निवासीगण सादडी जिला पाली

2. श्रीमती चन्दन कुंवर धर्म पत्नी श्री बहादुर सिंह जी पुत्र भोपालसिंहजी कौम राजपूत निवासी सादडी तहसील देसूरी

3. राजस्थान सरकार (भूमिधारी) जरिये तहसीलदार देसूरी जिला–पाली (राज.)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–
1. श्री जगदीश चन्द्र बोहरा अधिवक्ता वादी की ओर से।
2. श्री प्रवीण चौहान व श्री ताराचंद मीणा अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 मृतक वक्तावरमल के कायम मुकाम की ओर से।
3. श्री मदनलुहार अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से।
4. श्री कैलाश ईनाणिया नायब तहसीलदार देसूरी प्रतिवादी सरकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 15:58:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 04/01/2022

वादी ने वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के प्रस्तुत किया। वाद के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि मौजा सरहद कस्बा सादडी चक नम्बर 1 तहसील देसूरी जिला पाली (राज.) स्थित पुराने ख.न. 576 मीन रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा किस्म भाकर बा.1 राजस्व लगान रूपया 2.21 पैसा वार्षिक मुसम्मी मगनाजी वलद दौलाजी कौम जाट साकिन सादडी की खातेदारी की कास्त व कब्जा सुदा विद्यमान थी। जिसको नामांतरकरण संख्या 1079 दिनांक 03.10.1977 के वादी के पिता दौलाजी पुत्र चौपाजी के नाम दर्ज किया गया तथा दौलाजी के देहावसान पर आराजी की खातेदारी जरिये – नामांतरकरण संख्या 1241 दि. 07.01.1985 के वादी के नाम दर्ज की गई, जो आराजी वादी की काश्त व कब्जा सुदा काफिक खतौनी सम्वत 2034 से 2037 चली आ रही है। खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न प्रस्तुत है।

सादडी चक नम्बर 1 स्थित आराजियात पुराने ख.न. 685/2 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, ख.न. 685/3 रकबा 10 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम, ख.न. 687/6 रकबा 12 बीघा किस्म नदी का प्रथम जुमले रकबा 14 बीघा 5 बिस्वा राजस्व लगान रूपया 9. 47 पैसा वार्षिक माफिक खतौनी सम्वत् 2034 से 2037 के मुसम्मी वक्तावरमल पुत्र पुखराजजी कौम जैन पंडिया निवासी सादडी की खातेदारी की विद्यमान थी। खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न प्रस्तुत है।

वादी ने वाद पत्र मे जाहिर किया कि सम्वत् 2034 से 2037 की खतौनी पुराने ख.न. के आधार पर अंतिम खतौनी बनी। उसके पश्चात् सादडी मे राज्य सरकार के आदेश से भू–प्रबंध की कार्यवाही अमल मे आई तब पुराने खसरा नम्बरान के आधार पर आगे जमाबंदी बनना बन्द हो गया व पैमाईश शुरू की गई तथा नया नक्शा राज्य सरकार ने बनवाया व आराजियात के नये ख.न. भी दर्ज किये गये। जब सेटलमेन्ट की कार्यवाही पूरी हुई तो मिसल बंदोबस्त वर्ष 2040 से 2060 बनाकर भू. प्रबन्ध विभाग ने राजस्व विभाग को सौपी। जिस खतौनी मे वादी को अपनी पुरानी आराजी के नये ख.न. 4499 रकबा 0.24 हेक्टर, ख.न. 4505 रकबा 0.32 हेक्टर जुमले रकबा 0.56 हेक्टर किस्म बा.दो. की खातेदारी दी गई। जिस पर वादी ने नक्शे की स्थिति पर गौर न कर सही रेकर्ड मानकर बैठ गया। वादी अनपढ आदमी है जो राजस्व रेकर्ड नही पढ सकता तथा न ही नक्शे मे समझता है। वास्तव मे वादी को जिन खसरान की खातेदारी प्रदत्त की गई है वो वादी की पुरानी कब्जा सुदा आराजी ख.न. 576 मीन रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा के नही है। बल्कि वादी जिस आराजियात पर काबिज है उसके नये खसरा नम्बर 4706 रकबा 0.60 हेक्टर किस्म बारानी दोयम है तथा वादी को प्रदत्त की गई आराजियात की जानकारी वादी को नही है। जो कभी भी वादी के कब्जे मे नही रही है। वादी की पुरानी खातेदारी की कास्त व कब्जा सुदा आराजियात ख.न. 576 मीन रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा से बने नये ख.न. 4706 रकबा 0.60 हेक्टर ... प्रतिवादी संख्या 1 श्री वक्तावरमल के खाते मे दर्ज कर दी गई है। जबकि ... ख.न. 576 का कोई रकबा प्रतिवादी सं. 1 वक्तावरमल की खातेदारी का नही था ... प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी दूसरी आराजियात के साथ इस नये खसरा नम्बर 4706 रकबा 0.60 हेक्टर भूमि को भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 15:58:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एम.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

प्रतिवादी संख्या 2 मुस्मात चन्दनकुंवर को अन्तरित कर दिया है। हालाकि हल्का पटवारी ने इस नये ख.न. 4706 पर वादी का कब्जा होने से नामांतरकरण प्रतिवादी सं. 2 के नाम दर्ज नही किया है। बेचान की गई दीगर खातेदारी खं.न. 4719, 4719/6576 जुमले रकबा 1.33 हेक्टर की खातेदारी नामांतरकरण संख्या 481 दिनांक 09.08.1998 के प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज की गई है तथा ख.न. 4706 रकबा 0.60 हेक्टर को यथावत प्रतिवादी सं. 1 के नाम ही रखा गया है। जबकि मौके पर इस आराजियात पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मे से किसी का कब्जा कास्त नही है न कभी कब्जा काश्त रहा है। मौके पर आज भी नये ख.न. 4706 पर वादी का कब्जा काश्त है।

मिलान क्षेत्रफल के अनुसार भी नये ख.न. 4706 रकबा 0.60 हेक्टर पुराने ख.न. 576 मीन से बने है, जबकि पुराने रेकर्ड अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 की आराजियात ख.न. 685/2, 685/3, 687/6 जुमले रकबा 14 बीघा 5 बिस्वा थी, पुराने ख.न. 685/2 व 685/3 के नये ख.न. 3329 रकबा 0.01 है। ख.न. 3330 रकबा 0.35 हेक्टर जुमले रकबा 0.36 हेक्टर बने है जो आराजियात वादी की आराजियात से काफी दूर स्थित है। जो अभी भी प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी की होकर उसके काश्त कब्जे मे है। पुराने खं.न. 687/6 रकबा 12 बीघा आराजियात नदी का भाग थी जो पुराने रेकर्ड के भी नदी दर्ज है, जबकि 576 खसरा पुराने रेकर्ड अनुसार भाकर दर्ज था, इस प्रकार मिलान क्षेत्रफल व पुराने रेकर्ड से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 को नये ख.न. 4706 की खातेदारी कत्तई गलत दी गई है जो काबिल निरस्त के है।

यह कि प्रारम्भ मे भू-प्रबंध विभाग ने भी नये ख.न. 4706 रकबा 0.60 हेक्टर की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 को नही दी थी किन्तु बाद मे एक दरखवास्त प्रतिवादी सं. 1 वक्तावरमल के नाम की ली जाकर जिस पर कोई तारीख दर्ज नही है, पुश्त पर गलत मौका रिपोर्ट बताकर आराजियात नये ख.न. 4706 की भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दिया, जिसमे वादी को नही सुना गया न मिसल के कोई नम्बर ही दर्ज किये गये न मिलान क्षेत्रफल का अवलोकन किया। महल दरख्वास्त मे यह लिखने से कि ख.न. 4706 से प्रतिवादी संख्या 1 के रकबे की पूर्ति कर दी गई। उस वक्त भी मौके पर वादी का ही कब्जा काश्त था। चूंकि वादी को उसकी आराजियात का पर्चा मिल गया था, जिससे वादी ने उस वक्त उतरदायी करने की आवश्यकता नही समझी। वादी को यह जानकारी मे नही आया कि उसको गलत नम्बरो की खातेदारी दी गई है, वादी को दी गई खातेदारी बाबत् नये ख.न. 4499 व 4505 जुमले रकबा 0.56 हेक्टर उसकी आराजियात नही होने से काबिल निरस्त के है, तथा वास्तव मे वादी की खातेदारी भूमि नये ख.न. 4706 रकबा 0.60 हेक्टर है जो वादी को खातेदारी दी जानी चाहिये। नये ख.न. 4499 व 4505 बाबत् प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा जांच कराई जाकर पुरानी किसी की खातेदारी न होने की स्थिति मे सिवायचक दर्ज की जानी चाहिये।

यह कि नये ख.न. 4706 रकबा 0.60 हेक्टर [illegible] आज भी वादी का काश्त कब्जा है तथा यह वादी की पुरानी खातेदारी [illegible] है जो पुराने ख.न. 687/6 नदी से नही बने है। जिसको [illegible] संख्या 1 के नाम दर्ज कर दिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 15:58:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने उसे बेचान दस्तावेज के प्रतिवादी संख्या 2 को अन्तरित कर दिया है जो बेचान व खातेदारी वादी के हक अधिकारी के प्रति शून्य प्रभावी है, आराजीयात को वादी की खातेदारी की घोषित किये जाने हेतु यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण धारा 88, 89 राज. टिनेन्सी एक्ट के प्रस्तुत है।

यह कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 आराजियात नये ख.न. 4706 रकबा 0.60 हेक्टर भूमि को किसी को अन्तरित नही करे न इसमे दखलअंदाजी करे, न किसी अन्य से करावे, न राजस्व रेकर्ड मे कोई फेरबदल करे। इस आशय से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध वाद अन्तर्गत धारा 92 ए व 188 राज. टिनेन्सी एक्ट के स्थाई निषेधाज्ञा के भी वाद प्रस्तुत है।

यह कि प्रतिवादी संख्या 3 राज. सरकार भूमिधारी है। भू प्रबंध की कार्यवाही भी प्रतिवादी संख्या 3 के आदेश पर हुई है, जिसमे रेकर्ड के खसरा नं. बदले है तथा वादी को गलत नम्बरो की खातेदारी दी गई है। जिन गलत नम्बरो की खातेदारी निरस्त करवा कर वास्तविक नम्बर की खातेदारी प्राप्त करने के आशय से पेश किये गये इस वाद मे प्रतिवादी संख्या 3 को फोरमल प्रतिवादी संख्या 3 बताया गया है, जिससे धारा 80 सी.पी.सी के तहत नोटिस की आवश्यकता नही है।

यह कि वाद हेतु भू – प्रबंध विभाग द्वारा वादी को गलत नम्बरो की खातेदारी देने, जिसकी जानकारी अभी कुछ माह पूर्व वादी को होने तथा प्रतिवादी संख्या 1 को गलत रूपेण नये ख.न. 4706 रकबा 0.60 हेक्टर की खातेदारी देने से व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उस आराजियात को प्रतिवादी संख्या 2 को अन्तरित कर देने से व राजस्व विभाग द्वारा इस प्रकार गलत रूपेण दी गई आराजियात को निरस्त कर सही खातेदारी नही देने से व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उसकी खातेदारी की काश्त व कब्जा सुदा भूमि नये ख.न. 4706 न होने के बावजूद प्रतिवादी सेख्या 2 को अन्तरित करने से व वादी के कब्जा काश्त मे दखलअंदाजी करने का अंदेशा पैदा होने से बमुकाम सादडी उदित हुआ। जिसका वाद अन्दर अवधिकाल विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत है।

वादी ने उपरोक्तानुसार वाद प्रस्तुत कर अनुतोष इस आशय का चाहा कि वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर डिक्री फरमाया जाकर मौजा सरहद कस्बा सादडी चक नम्बर 1 तहसील देसूरी के पुराने ख.न. 576 मीन रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा किस्म गे.मु. भाकर से बने नये खसरा नम्बर 4706 रकबा 0.60 हेक्टर किस्म बारानी वादी की खातेदारी की घोषित की जावे व वादी को गलत रूपेण दी गई खातेदारी नये खसरा नं. 4499 रकबा 0.24 हेक्टर, ख.न. 4505 रकबा 0.32 हेक्टर जुमले रकबा 0.56 हेक्टर किस्म बारानी दोयम की खातेदारी निरस्त फरमावे व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादी की काश्त व कब्जा सुदा आरानी नये ख.न. 4706 रकबा 0.60 हेक्टर मे दखलअंदाजी नही करे न उसे किसी अन्य को अन्तरित करे न ऐसा स्वयं करे न अन्य किसी से करावे। इस आशय की डिक्री फरमाते हुए राजस्व रेकर्ड मे नये ख.न. 4706 की खातेदारी वादी के नाम दर्ज [illegible] का आदेश प्रदान करावे व दखलअंदाजी रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 15:58:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)
(एस. डी. ओ.) देसूरी (पाली)

प्रस्तुत वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 वक्तावरमल को जरिये अखबार मे सम्मन प्रकाशन कराया गया । बावजूद प्रकाशन के अनुपस्थित रहने से दिनांक 16.09.2009 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 1 वक्तावरमल की मृत्यु होने से इनके कायम मुकाम वारिसान को रेकर्ड पर लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 27.09.2017 को कायम मुकाम की तलबी हेतु आदेश दिये गये। कायम मुकाम की तलबी हेतु सम्मन जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. से जारी किये गये। कायम मुकाम बावजूद रजिस्टर्ड ए.डी सम्मन तामिल होने के अनुपस्थित रहे। प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकाम वारिसान की ओर से दिनांक 13.05.2019 को सुनवाई का अवसर देने एवं जवाब दावा प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसकी प्रति वकील वादी को दिलाई गई। प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष के अधिवक्तागण को सुना गया। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकाम की ओर से दौराने बहस कथन किया कि सुनवाई का अवसर के साथ जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर दिलाया जावे। अधिवक्ता वादी ने प्रतिवादी के तथ्यो को नकारते हुए अपनी बहस मे अभिकथन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध पूर्व मे एक पक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। इनके कायम मुकाम वारिसान को वादोतर पेश करने का अधिकार नही है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हिस्से की सम्पूर्ण कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 2 को विक्रय कर दी गई है। बहस के समर्थन मे निम्न न्याय के दृष्टांत पेश किया। Civ. Times (H.C) 2002 (1) Sh. Bhanwar Lal v/s Sh. Kanhaiya Lal page 301.

प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष की बहस पर मनन करने प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन के पश्चात् हम यह पाते है कि प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने से वादोतर पेश करने का अधिकार नही था। जिससे उनके विधिक वारिस प्रतिनिधि द्वारा नया प्रतिवाद पत्र पेश नही कर सकते है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया गया।

प्रतिवादी संख्या 2 ने वाद पत्र का जवाब प्रस्तुत कर जाहिर किया कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा खसरा नं. 4706, 4719 व 4719/6576 प्रतिवादी संख्या 2 को अवश्य अन्तरित की गई है। जिसे अन्तरित करने का प्रतिवादी संख्या 1 को पूर्ण अधिकार था। वादी ने खातेदारी की घोषणा का गलत वाद प्रस्तुत किया है। वाद वादी काबिल निरस्त के है ।वादी कोई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। वादग्रस्त आराजी ख.न. 4706 पुराने ख.न. 687/6 से बने है। उक्त खसरा नं. पुराने खसरा नं. 576 से बनने का कथन गलत है। वादग्रस्त भूमि सडक से चिपती हुई स्थित है। सडक राणकपुर रोड है। पूर्व दिशा की तरफ ख.न. 4707 व 4709 स्थित भूमि सिवाय चक है। जिस पर वादी का अतिक्रमण चला आ रहा है। ख.न. 4707 व 4709 का आराजी पुराने ख.न. 576 से बने है। वादी को खसरा नं. 4707 व 4709 की खातेदारी हेतु वाद प्रस्तुत करना था जो नही कर ख.न. 4706 के तहत वादी ने बदनियति से गलत वाद प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को परेशान करने की दृष्टि से प्रस्तुत किया है जो वादी का वाद काबिल निरस्त के है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 15:38:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

वाद मे वादी की ओर से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जमाबंदी संवत् 2034 से 2037 व 2046–2049 प्रदर्श 1 मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–2, जमाबंदी संवत 2030 से 2033 प्रदर्श–3, जमाबंदी सम्वत् 2034 से 2037 प्रदर्श–4, नक्शा नया प्रदर्श–5, नक्शा पुराना प्रदर्श–6, नामातरकरण संख्या 1541 प्रदर्श–7, प्रार्थना पत्र वक्तावरमल पंडिया बाबत दुरूस्ती ख.न. 4719, 4719/6576 आदेश सहायक भू प्रबंधक अधिकारी जोधपुर प्रदर्श–8, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–9, नामांतरकरण संख्या 481 प्रदर्श–10, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–11, विक्रय विलेख प्रमाणित प्रति प्रदर्श–12, मौका स्थिति की रिपोर्ट पटवारी सादडी प्रदर्श–13, वादीगण की ओर से बयान कराये गये pw1–मांगा, pw2 वगता, pw3 समाराम

वाद मे निम्न तनकियात कायम की गई।

तनकी नं. 1 :– यह कि वादी के पिता की खरीद सुदा आराजी सादडी चक नं. 1 स्थित पुराने ख.न. 576 मीन से बने खसरा नं. 4706 रकबा को गलत रूपेण प्रतिवादी संख्या 1 के खाते मे सेटलमेन्ट के दौरान दर्ज कर दिया। जिस पर वादी का कब्जा काश्त है।............ वादी

तनकी नं. 2 :– यह कि वादी को नये ख.न. 4499 व 4505 जुमले रकबा 0.56 हेक्टर की खातेदारी गलत दी है, जिन पर वादी का कब्जा कभी नही रहा है। .... वादी।

तनकी नं. 3 :– यह कि नये खसरा नम्बर 4706 प्रतिवादी संख्या 1 की पुराने नम्बरो की खातेदारी से नही बने है। प्रतिवादी संख्या 1 की पुरानी खातेदारी के खसरा नं. 687/6 नदी का भाग थी..................वादी।

तनकी नं. 4 :– यह कि नये ख.न. 4706 पुराने ख.न. 687/6 का भाग होने से प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदारी दी गई। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा रहा है। .... प्रतिवादी।

तनकी नं. 5 :– यह कि नये ख.न. 4707 व 4709 पुराने ख.न. 576 मीन से बने है, जिसका दावा वादी को करना चाहिये था। .... प्रतिवादी।

तनकी नं. 6 :– अनुतोष ....

तनकी नं. 7 अतिरिक्त तनकियात – यह कि वादी ने वाद प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी का नोटिस नही दिया है। जिससे वाद वादी का मेन्टेनेबल नही होने से निरस्त किये जाने योग्य है।.................. प्रतिवादी।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस समायत की गई। अधिवक्ता वादी ने दौराने बहस कथन किया कि वादग्रस्त आराजी गत ख.न. 576 मीन रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा भूमि से बने ख.न. 4706 रकबा 0.60 हेक्टर भूमि वादी की खातेदारी घोषित की जावे। व वादी को गलत दी गई खातेदारी नये ख.न. 4499, 4505 रकबा 0.56 हेक्टर की खातेदारी निरस्त फरमाई जावे। ख.न. 4706 पर वादी का कब्जा [illegible] है। जिसकी डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 15:58:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान द्वारा बहस के दौरान जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजी वर्तमान ख.न. 4706 प्रतिवादी की खातेदारी की भूमि है। जो राजस्व रेकर्ड मे खातेदारी की दर्ज होने से प्रतिवादी संख्या 2 को सही रूपेण बेचान किया गया। वादी ने खातेदारी घोषण व निषेधाज्ञा का गलत वाद प्रस्तुत किया है जो निरस्त योग्य है वाद वादी निरस्त फरमाया जावे।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन करने, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड, दस्तावेज के अवलोकन से इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि हम वाद मे कायमी तनकियात अनुसार निर्णय करना उचित समझते है।

तनकी नम्बर 1,2,3 को सिद्ध कराने का भार वादी पर है। वाद पत्र के पैरा 1 के अनुसार यह कि मौजा सरहद करबा सादडी पटवार सर्किल चक नम्बर 1 तहसील देसूरी जिला पाली (राज.) स्थित आराजी पुराने खसरा 576 मीन रकबा 3 बीगा 4 बिस्वा किस्म–भाकर बा.–1 राजस्व लगान रूपया 2.21 पैसा वार्षिक मुस्समी मगनाजी वल्द दौलाजी कौम जाट साकिन सादडी की खातेदारी की काश्त व कब्जासुदा विद्यमान थी, जिस आराजियात को नामान्तरकरण संख्या 1079 दिनांक 03.10.77 के वादी के पिता श्री दौलाजी वल्द श्री चौपाजी के नाम दर्ज किया गया तथा श्री दौलाजी के देहावसान पर आराजियात की खातेदारी जरिये नामांतरकरण संख्या 1241 दिनांक 07.01.1985 के वादी के नाम दर्ज की गई जो आराजियात वादी की काश्त व कब्जासुदा माफिक खतौनी सम्वत् 2034 से 2037 चली आ रही है।

यह कि सम्वत् 2034 से 2037 की खतौनी पुराने खसरा नम्बरान के आधार पर अंतिम खतौनी बनी उसके पश्चात सादडी मे राजस्थान सरकार के आदेश से भू–प्रबंध की कार्यवाही अमल मे आई तब पुराने खसरा नम्बरान के आधार पर आगे जमाबंदी (खतौनी) बनना बन्द हो गया व पैमाईश शुरू की गई तथा नया नक्शा राज्य सरकार ने बनवाया व आराजियात के नये खसरा नम्बरान भी दर्ज किये गये जब सेटलमेन्ट की कार्यवाही पूरी हुई तो मिसल बन्दोबस्त वर्ष 2040 से 2060 बनाकर भू –प्रबंध विभाग ने राजस्व विभाग को सौपी जिस खतौनी मे वादी को अपनी पुरानी आराजी के नये खसरा नम्बर 4499 रकबा 0.24 हेक्टर, खसरा नम्बर 4505 रकबा 0.32 हेक्टर जुमले रकबा 0.56 हेक्टर किस्म बारानी दोयम की खातेदारी दी गई, जिस पर वादी ने नक्शे की स्थिति पर गौर न कर सही रेकर्ड मानकर बैठ गया। वादी अनपढ आदमी है जो राजस्व रेकर्ड नही पढ सकता है तथा न ही नक्शे मे समझता है। वास्तव मे वादी को जिन खसरान की खातेदारी प्रदत्त की गई है वो वादी की पुरानी कब्जा सुदा आराजी खसरा नम्बर 576 मीन रकबा 3 बीगा 4 बिस्वा के नही है बल्कि वादी जिस आराजियात पर काबिज है उसके नये खसरा नम्बर 4706 रकबा 0.60 हेक्टर किस्म–बारानी दोयम है तथा वादी को प्रदत्त की गई आराजियात की जानकारी वादी को नही है। जो कभी भी वादी के कब्जे मे नही रही है। वादी की पुरानी खातेदारी की काश्त व कब्जासुदा आराजियात खसरा नम्बर 576 मीन रकबा 3 बीगा 4 [illegible] से बने नये खसरा नम्बर 4706 रकबा 0.60 हेक्टर गलत रूपेण प्रतिवादी संख्या 1 वक्तावरमल के खाते दर्ज कर दी गई है जबकि पुराने खसरा नम्बर 576 [illegible] संख्या 1 वक्तावरमल की

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 15:58:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

खातेदारी का नही था तथा श्री वक्तावरमल प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी दूसरी आराजियात के साथ इस नये खसरा नम्बर 4706 रकबा 0.60 हेक्टर भूमि को भी प्रतिवादी संख्या 2 मुस्समात चन्दरकुंवर को अन्तरित कर दिया है, हालाकि हल्का पटवारी जी ने इस नये खसरा नम्बर 4706 पर वादी का कब्जा होने से नामान्तरकरण प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज नही किया है, बेचान की गई दिगर खातेदारी खसरा नम्बर 4719, 4719/6576 जुमले रकबा 1.33 हेक्टर की खातेदारी नामांतरकरण संख्या 481 दिनांक 09.08.98 के प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज की गई है तथा खसरा नम्बर 4706 रकबा 0.60 हेक्टर को यथावत प्रतिवादी संख्या 1 के नाम ही रखा गया है जबकि मौके पर आराजियात पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मे से किसी का कब्जा काश्त नही है न कभी कब्जाकाश्त रहा है मौके पर आज भी नये खसरा नम्बर 4706 पर वादी का कब्जाकाश्त है।

प्रदर्श 1 जमाबन्दी ग्राम सादडी सम्वत् 2034 से 2037 के खाता संख्या 466 मे खसरा नं. 576 मीन क्षेत्रफल 3 बीगा 4 बिस्वा मगना वल्द दौला कौम जाट सा.देह के नाम पर अंकित है। सम्वत् 2046 से 2049 की जमाबंदी मे खाता संख्या 619/701 मे खसरा नं. 4499 क्षेत्रफल 0.34 एवं खसरा नं. 4505 क्षेत्रफल 0.32 कुल बिस्वा 2 क्षेत्रफल 0.56 मांगीया वल्द दौला कौम रेबारी के नाम अंकित है। बन्दोबस्त विभाग का क्षेत्रफल तुलनात्मक प्रदर्श 09 अनुसार खसरा नं. 4499 क्षेत्रफल 0.24 एवं 4505 क्षेत्रफल 0.32 गत भूमाप के खसरा नं. 576 मीन क्षेत्रफल 3 बीगा 4 बिस्वा से बनना दर्शाया गया है। इसी तरह प्रदर्श 2 मिलान क्षेत्रफल अनुसार खसरा नं. 4706 क्षेत्रफल 0.60 खसरा नं. 576 मीन क्षेत्रफल अंकित नही से बनना दर्शाया है। प्रदर्श 3 मे खसरा नं. 576 का क्षेत्रफल 3105 बीगा 19 बिस्वा दर्शाया गया है। वादी ने जो खसरा मानचित्र प्रदर्श 6 पेश किया है। इसमे खसरा नं. 4706 का खसरा नं. 576 मे कब्जा काश्त कहॉ रहा है इसे नही बताया है क्योकि खसरा नं. 576 के करीब 40 खसरा बनना प्रदर्श 2 से प्रकट है। इससे प्रकट है कि वादी के खसरा नं. 576 मीन क्षेत्रफल 3 बीगा 4 बिस्वा से ही खसरा नं. 4706 क्षेत्रफल 0.60 बनना सिद्ध नही है। कब्जा काश्त के बारे मे वादी का अभिवचन है कि आज भी मौके पर खसरा नं. 4706 पर वादी का कब्जा काश्त है लेकिन कब्जे की पुष्टि स्वरूप कोई खसरा गिरदावरी पेश नही की है। सहायक भू प्रबंन्ध अधिकारी कैम्प सादडी को प्रतिवादी वक्तावरमल ने जो पत्र प्रदर्श 8 लिखा है उसमे लिखा है कि सादडी के खसरा नं. 4719 व 4719/6576 कुल रकबा 185 का मुझे पर्चा मिला लेकिन मौके पर इतना क्षेत्रफल मेरे पास नही है तथा जो कृषि को क्षेत्र है वह बहुत कम है। वक्त पैमाईश मेरे ख्याल से पहाडी क्षेत्र को भी सम्मिलित कर लिया है तथा इस बाबत पुनः नाप करवा कर मेरी कुल खातेदारी की बारह बीघा भूमि की पूर्ति की जावे। ऐसे पास मे खसरा नं. 4706 स्थित है। जहॉ मैं काश्त करता रहता हूँ तथा इसे ही मेरे क्षेत्रफल मे सम्मिलित करना था लेकिन मेरी अनुपस्थिति के कारण ऐसा हो नही सका। इसलिए निवेदन है कि अब उक्त दुरूस्ती करके मुझे पर्चा दिया जावे। इस पर मौका रिपोर्ट भू मापक द्वारा दी गई उसमे स्पष्ट किया गया है कि खसरा नं. 4706 क्षेत्रफल 8.62 मे से 0.60 हेक्टेयर पर सायल का कब्जा है। इस स्थिति को नक्शा ट्रेस मे लाल स्याही मे दर्शाया।

सहायक प्रबन्ध अधिकारी एवं सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी जोधपुर (राज.) का इस पर आदेश है कि वर्तमान खसरा नं. 4706 क्षेत्रफल 0.60 मे सायल वक्तावरमल पुत्र पुखराज

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 15:58:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

खातेजन दर्ज किया जावे तथा शेष रकबा 0.12 का आ.ब. 4706 / 6601 दर्ज कर भूमि यथावत रखी जावे। वादी ने इस आदेश को कोई चुनौता देना नही बताया है इसलिये वादी इस आदेश के विपरीत अब राजस्व न्यायालय से खातेदारी का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

तनकी नं. 1 मे खसरा नं. 576 मीन को वादी के पिता की खरीदशुदा दर्शाया जबकि अभिवचन मे खरीदने का कोई उल्लेख नही है बल्कि नामांतरकरण संख्या 1079 दिनांक 03.10.77 से वादी के पिता दौला वल्द चौपाजी के नाम दर्ज हाने का कथन किया है। प्रदर्श 1 जमाबंदी सम्वत् 2034 – 2037 मे नामांतरकरण संख्या 1071 दिनांक 03.10.77 से खसरा नं. 576 मीन क्षेत्रफल 03 बीघा 04 बिस्वा दौला पिता चौपा के नाम मंजूर होने का उल्लेख है परन्तु वादी ने दोनो नामातरकरणो की प्रतियॉ पेश नही की और न ही विक्रय पत्र पेश किया गया है। वादी ने बयान मे बताया कि मौके पर कब्जा सादडी के चक नं. 1 मे खसरा नं. 4706 व 4707 पर है। बेयानकर्ता ने मुझे इसी जमीन का कब्जा सौपा है। मेरे पिता जी ने यह जमीन (विवादग्रस्त) आप से 40 वर्ष पूर्व खरीदी थी। यह जमीन मेरे पिताजी ने सेटलमेन्ट से पहले खरीदी थी। जिस समय जमीन खरीदी उस समय मैं बाहर रहता था उस समय मेरी उम्र 15–20 वर्ष थी। यह बात सही है कि उस समय जब मेरे पिताजी ने कब्जा प्राप्त किया उस समय मै वहा मौजूद नही था। जो जमीन मेरे पिताजी ने खरीदी उसकी रजिस्ट्री व विक्रय विलेख मैने पेश नही की है। अतः वादी वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 576 मीन को वादी के पिता द्वारा खरीदने के तथ्य को सिद्ध कराने मे असमर्थ रहा है। इसी तरह खसरा नं. 576 मीन 03 बीघा 04 बिस्वा से नवीन खसरा नं. 4706 बनना भी सिद्ध नही कर सकता है क्योकि मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 2 मे खसरा नं. 576 मीन का क्षेत्रफल कितना है यह नही बताया गया जब कि खसरा नं. 576 का मूल रकबा 3105 बीघा 19 बिस्वा था। अतः इस बिन्दु का निर्णय वादी के विरूद्ध किया जाता है क्यो कि वादी इसे सिद्ध नही करा सकता है।

तनकी नं. 2 के अनुसार खसरा नं. 4499 एवं 4505 क्षेत्रफल 0.56 हेक्टर की खातेदारी यदि वादी को गलत मिली है तो वह उसे राज्य सरकार को समर्पित करने के लिये स्वतंत्र है। इसके लिये वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता नही है। वादी का अभिवचन की खसरा नं. 4499व 4505 बाबत प्रतिवादी संख्या 03 राजस्थान सरकार (भूमिधारी) द्वारा जॉच कराई जाकर पुरानी किसी की खातेदारी न होने की स्थिति मे सिवायचक दर्ज की जानी चाहिए। वादी अपनी जिम्मेदारी को भूमिधारी के कन्धो पर नही लाद सकता है। अपने अभिवचनो को सिद्ध कराने का भार वादी का है जिसमे वह असमर्थ रहा है इसलिए इस तनकी निर्णय वादी के निरस्त किया जाता है।

तनकी 3 के संदर्भ मे वाद के अभिवचन के पेरा 6 मे दर्शाया है कि खसरा नं. 4706 क्षेत्रफल 0.60 हेक्टर पुराने खसरा नम्बर 576 मीन मे से बने है जो पुराने खसरा नं. 687 / 6 है नदी से नही बने है। प्रदर्श 2 मिलान क्षेत्रफल अनुसार खसरा नं. 4706 क्षेत्रफल 0.60 पुराने खसरा नं. 576 मीन से बनना दर्शाया है लेकिन क्षेत्रफल का उल्लेख नही है। प्रदर्श 4 जमाबन्दी संख्या 2034 से 2037 ग्राम सादडी के [illegible] संख्या 384 मे खसरा नं. 687 / 6 क्षेत्रफल 12 बीघा किस्म नदी से बाप[illegible]। मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 2 के अनुसार खसरा नं. 687 क्षेत्रफल 12 [illegible] खसरा नं. 4719 क्षेत्रफल 0.77

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 15:58:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

बनने का उल्लेख है। जिस पर प्रदर्श 8 सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के आदेशानुसार कब्जा प्रतिवादी वक्तावरमल का दर्शाया गया है। अतः निर्णय वादी के विरूद्ध किया जाता है।

तनकी नं. 4, 5, 6 व 7 को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादी पर है। तनकी नं. 4 के संदर्भ मे प्रतिवादी ने ऐसा कोई अभिलेख पेश नही किया है जिससे यह प्रकट हो कि खसरा नं. 687/6 से खसरा नं. 4706 बना हो इसलिये यह नही माना जा सकता है कि खसरा नं. 4706 पुराने खसरा नं. 687/6 का भाग है। प्रतिवादी वक्तावरमल ने सहायक भू प्रबन्धक अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्शाया है कि सादडी के खसरा नं. 4719 व 4719/6576 कुल रकबा 185 का मुझे पर्चा मिला लेकिन मौके पर इतना क्षेत्रफल मेरे पास नही है तथा जो कृषि को क्षेत्र है वह बहुत कम है। वक्त पैमाईश मेरे ख्याल से पहाडी क्षेत्र को भी सम्मिलित कर लिया है तथा इस बाबत पुनः नाप करवा कर मेरी कुल खातेदारी की बारह बीघा भूमि की पूर्ति की जावे। ऐसे पास मे खसरा नं. 4706 स्थित है। जहॉ मैं काश्त करता रहता हूँ तथा इसे ही मेरे क्षेत्रफल मे सम्मिलित करना था लेकिन मेरी अनुपस्थिति के कारण ऐसा हो नही सका। इसलिए निवेदन है कि अब उक्त दुरूस्ती करके मुझे पर्चा दिया जावे।

सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी ने मौका रिपोर्ट पर आदेश दिया है कि खसरा नं. 4706 क्षेत्रफल 0.72 मे से 0.60 हेक्टर पर कब्जा सायल का होने से उसके नाम अंकित किया जावे। पटवारी सादडी ने उपखण्ड अधिकारी देसूरी के पत्रांक /कोर्ट 09/0109 दिनांक 08.06.09 के क्रम में अन्य खसरो के साथ खसरा नं. 4706 पर कब्जा काश्त बाबत पर्या मौका बनाया गया इसमे हाल खसरा नं. 4706 क्षेत्रफल रकबा 0.60 हेक्टर है वक्तावरमल के नाम से खातेदारी अंकित होना और पश्चिमी हिस्से पर 0.16 हैक्टर पर रूप मुनि जी के आश्रम हेतु रखी होना दर्शाया है। शेष भूमि 0.44 हेक्टर पर मांगीया पुत्र दौला रेबारी का कब्जा काश्त 40 वर्षो से होना बताया। यह पर्चा मौका पर इस वाद के पक्षकारो की उपस्थिति मे बनाया गया हो ऐसा कोई साक्ष्य नही है। इसके अलावा पुराना करीब 40 वर्षो का कब्जा वादीगण का होने के बारे मे भी किसी अभिलेख का उल्लेख नही किया गया है। ऐसी स्थिति मे सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा कब्जे के बारे मे दिये गये विनिश्चय के विपरीत पटवारी रिपोर्ट की कोई अहमियत नही रह जाती है। वैसे भी अधिकार अभिलेख मे भूमि जिसके नाम है कब्जे की परिकल्पना उसके पक्ष मे की जाने की परिपाटी रही है। जब तक कि अन्यथा ठोस सबूतो से साबित नही किया जाता है। अतः इस तनकी का निर्णय प्रतिवादी के पक्ष मे किया जाता है।

तनकी नं. 07 विधि संबंधी है। जिसका निर्णय सर्वप्रथम किया जाना चाहिए। प्रतिवादी संख्या 3 राजस्थान सरकार (भूमिधारी) जरिये तहसीलदार देसूरी को वाद पक्ष का नोटिस आदेशिका दिनांक 28.05.04 के अनुसार मिल गया था। परन्तु इन्होने कोई वादोत्तर नही दिया है। वादी का अभिवचन है कि प्रतिवादी संख्या 3 फोरमल पार्टी है। इसलिये हस्ब धारा 80 जा. दी. के तहत नोटिस की आवश्यकता नही रहती है। प्रतिवादी संख्या 2 चन्दन कुंवर ने जरिये एडवोकेट आपति ली है कि प्रतिवादी संख्या 3 फार्मल पक्षकार नही होकर आवश्यक पक्षकार है। जिनके विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक था जो नही दिया गया है। जिससे वाद चलने योग्य नही होने से काबिल निरस्त के है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 58 के प्रावधान धारा 80 सी.पी.सी का नोटिस तब

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 15:58:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

अनिवार्य नही जब राज्य पक्षकार ने न्यायालय मे वादोतर पेश कर कोई आपत्ति नही ली है। इसलिये यही माना जायेगा कि प्रतिवादी ने आपत्ति करने के हक का त्याग कर दिया है जैसा कि RRD 1974 पेज 271 (L.B.) 1959 RLW FTP (FB) प्रदत्त न्याय निर्णयनो मे प्रतिपादित किया गया है कि The state held waived its right to notice u/s 80 CPC where no objection was taken either in the written statements nor at any other subsequent stage during the trial of the suit. इसी तरह 1974 RRD 194 मे माना है कि Section 88,89 have not provided that state to be a necessary party in such suit. अतः इस तनकी का निर्णय प्रतिवादी के विरूद्ध किया जाता है परन्तु इसका वाद के श्रवणाधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पडता है।

तनकी नं. 6 तनकियात की आवश्कता नही है।

वाद बिन्दु संख्या 1, 2 एवं 3 को सिद्ध कराने का भार वादी पर था जिन्हे सिद्ध कराने मे वादी असमर्थ रहा है। इसलिये वाद मे चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार वादी को नही है। जबकि प्रतिवादी अपने जिम्मे के वाद बिन्दु संख्या 4, 5 को सिद्ध कराने मे समर्थ रहा है। तनकी नं. 06 की आवश्यकता नही है। वाद बिन्दु संख्या 7 विधि संबंधी होने से इसके निर्णय का प्रतिवादी के अधिकारो पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पडता है। अतः न्यायालय वादी का वाद खारिज किया जाना उचित समझता है।

—:: आदेश ::—

वादी द्वारा प्रस्तुत कस्बा सादडी के चक नं. 1 मे स्थित खसरा नं. 576 मीन रकबा 03 बीघा 04 बिस्वा गैर मुमकिन भाकर से नवीन खसरा 4706 रकबा 0.60 हेक्टेयर किस्म बारानी का खातेदार घोषित करने तथा खसरा नं. 4499 रकबा 0.24 हेक्टर एवं खसरा नं. 4505 रकबा 0.32 हेक्टर जुमले रकबा 0.56 हेक्टर किस्म बारानी दोयम की खातेदारी निरस्त करने बाबत वाद बादी खारिज किया जाता है।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वादी के वाद मे वर्णित एवं काश्त तथा कब्जेसुदा आराजी के नये नम्बर 4706 रकबा 0.60 हेक्टर मे दखल अंदाजी करने बाबत कोई वाद बिन्दु नही बनाया गया है और वादी ने इस विषय मे कोई आपत्ति भी नही ली है। इसलिए इस बिन्दु पर निर्णय देना अपेक्षित नही है।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

निर्णय आज दिनांक 04/01/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सार इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 15:58:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

डिगरी बमुकदमे इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देसूरी (पाली)
बइजलास श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत आर.ए.एस.

वादी :–
मांगा पुत्र दौलाजी
कौम–रेबारी, निवासी–सादडी,
तहसील–देसूरी,जिला–पाली

बनाम प्रतिवादी :–

1. मृत वक्तावरमल पुत्र पुखराजजी के कायम मुकाम व वारिसान :–

1/1 –श्री श्रीपाल पुत्र वक्तावरमलजी
1/2 –श्रीमती मधु पुत्री वक्तावरमलजी
1/3 –जया पुत्री वक्तावरमलजी
1/4 –श्री अमरपाल पुत्र राजेश पौत्र वक्तावरमलजी
1/5 –सरोज बेवा राजेश पुत्र वक्तावरमलजी
1/6 –श्रीमती पिंकी पुत्री राजेश पौत्री वक्तावरमलजी
1/7 –आयुषा पुत्री कुमारपाल
1/8 –जोशना पुत्री वक्तावरमल
जाति तमाम जैन पण्डिया निवासीगण सादडी जिला पाली

2. श्रीमती चन्दन कुंवर धर्म पत्नी श्री बहादुर सिंह जी पुत्र भोपालसिंहजी कौम राजपूत निवासी सादडी तहसील देसूरी
3. राजस्थान सरकार (भूमिधारी) जरिये तहसीलदार देसूरी जिला–पाली (राज.)

मुकदमा नं. 481/99

दावा 88,89, 92 ए, 188 आर.टी. एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाइल कतई रूबरू हमारे हाजिर श्री जगदीश चन्द्र बोहरा वादीगण मिनजानिब मुदई व श्री प्रवीण चौहान व श्री ताराचंद मीणा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 मृतक वक्तावरमल के का.मु. कि ओरसे , श्री मदनलाल लुहार प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से एवं श्री कैलाश ईनाणिया नायब तहसीलदार देसूरी पेरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म किया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि वाद मे वादी द्वारा प्रस्तुत कस्बा सादडी के चक नं. 1 मे स्थित खसरा नं. 576 मील रकबा 03 बीघा 04 बिस्वा गैर मुमकिन भाकर से नवीन खसरा 4706 रकबा 0.60 हेक्टेयर किस्म बारानी का खातेदार घोषित करने तथा खसरा नं. 4499 रकबा 0.24 हेक्टर एवं खसरा नं. 4505 रकबा 0.32 हेक्टर जुमले रकबा 0.56 हेक्टर किस्म बारानी की खातेदारी निरस्त करने बाबत वाद वादी खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 15:58:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 15:38:44 IST
Reason: SelfAttested